न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – श्री रणछोड़ लाल, (आर.ए.एस)

राजस्व वाद सं. 51/2023
अन्तर्गत धारा 53,188 राज.काश्त.अधि.

अनवान्

वादी – 1. जेठाराम पुत्र विश्नाराम जाति जाट निवारी साइयों की बस्ती, धारासर तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण –1. गुसांईराम पुत्र विशनाराम 2. लाखाराम पुत्र विश्नाराम जाति जाट निवारी साइयों की बस्ती, धारासर तहसील चौहटन 3. तहसीलदार चौहटन

उपस्थित – वादी वकील – श्री पवन धारीवाल
प्रतिवादीगण वकील – एकतरफा

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 10.12.2025

उपरोक्त वाद में न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौहटन से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए, जो शामिल पत्रावली किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार चौहटन से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर बताया कि प्रतिवादी सं. 1 मेरे खेत से आना जाना करते है तो मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है। वादी वकील की बहस पर मनन किया गया। विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि वादी का वाद स्वीकार करने योग्य है। अतः न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार किया जाकर विभाजन प्रस्ताव अनुसार **तहसील चौहटन के मौजा सांइयों की बस्ती (धारासर) के खसरा संख्या 528/29** रकबा 06.62 हैक्[illegible] के आये हुए है। उक्त वादग्रस्त भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों [illegible] विभाजन कर पृथक [illegible] खाते कायम किये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2025.12.31 16:17:47 IST
Reason: SelfAttested

क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्दियत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हैक्टयर)	किस्म	लगान	बरंग
1	गुसाईराम पुत्र विशनाराम कौम जाट सादेह खातेदार	सांइयों की बस्ती	528/29	2.2069	बा.सो.	0.42	गुलाबी
2	जेठाराम पुत्र विशनाराम कौम जाट सादेह खातेदार		528/29	2.2069	बा.सो.	0.42	हरा
3	लाखाराम पुत्र विशनाराम कौम जाट सादेह खातेदार		528/29	2.2068	बा.सो.	0.42	लाल
		योग	**528/29**	**6.6206**	**बा.सो.**	**1.26**	

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। तहसीलदार चौहटन से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2025 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिले दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) चौहटन
सत्यमेव जयते

(रणछोड़ लाल)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) चौहटन

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2025.12.31 16:17:47 IST
Reason: SelfAttested